FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

चूनाराम बनाम आईदान वगैरा

किस्म मुकदमा वा० वगै नं. 183/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/6/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिधाराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/6/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
26/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधोहस्ताक्षरकर्ता पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 22/07/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अधोहस्ताक्षरकर्ता पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 25/09/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/09/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 16/10/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

/वाद/2019

16/10/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित।
प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई,
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि
प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत मेंना मेड
आये हुए है प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बिच
जो पुरानी मार्ग व डोलो है जो वर्तमान में आंधियों
की वजह से बिखर गये है। बरसात की आवक होने पर
विपक्षीगण प्रार्थी के मेड तोड़कर प्रार्थी के खेत में खेती
कर लेते है जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य
तनाजा बना रहता है इसलिए प्रार्थी को अपने खातेदारी
खेतों की पक्की नेत्थमबन्दी करवाना आवश्यक है लिहाजा
प्रार्थी का प्रार्थना नेत्थमबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर
नेत्थमबन्दी आदेश कीया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन
पर प्रार्थी का नेत्थमबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर
तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू.अभि.
लेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया
जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या
सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की
पक्की नेत्थमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क रुपये
500/- जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
16.10.2019

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/032

दिनांक:– 18/10/19

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

चूनाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट
निवासी टांकेलियासरा

आईदानराम पुत्र रूगनाथराम वगैरा
निवासी टांकेलियासरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या /2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धतरवालों का सरा पटवार हल्का छीतर का पार तहसिल बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 440/34,रकबा 29.04 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु (SDO)

कमांक/वाद/2019/033-37

दिनांक:– 18/10/19

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चूनाराम पुत्र गोरधनराम
4. विप्रार्थीगण आईदानराम पुत्र रूगनाथराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु